

06.08.2025

पत्रावली श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/सरिश्ता/एफ-01(02)2019/491 दिनांक 05.08.2025 की पालना में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन से अंतरित होकर प्राप्त हुई है। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण की न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन में अग्रिम पेशी दिनांक ~~10/9/2025~~ नियत रही है। तदनुसार वास्ते अग्रिम कार्यवाही पत्रावली इस न्यायालय में भी उक्त पेशी दिनांक ~~10/9/2025~~ को पेश हो।

571
2025

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) कपासन

10/9/2025

करीब पत्नी काफिर नही। धार धार आवाज
लगाई गई काफिर नही। काफिर नही जाने
से पत्रावली अहम कपासी अहम पेशी
में खारीन की जाती है। पत्रावली
केवल शुल्क सेरत लागू से जल हो
आफेबा सेरदमलान शुजाण अहम

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन